

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1366

दिनांक 30/05/24

प्रार्थीगण:-

1. हीराराम 2. माधूराम 3. प्रतापचंद
पि. खमूराम, जाति सुथार,
निवासी पुनियों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. बिहारीलाल 2. लालाराम पि. तुलछाराम 3. जमनादेवी पत्नि
तुलछाराम, जाति सुथार 4. सला पुत्र विन्डा, जाति मुसलमान
5. तगाराम 6. चूनाराम पि. वीरमाराम 7. दीपा पुत्र हुकमा
8. रेखाराम 9. वीझाराम 10. श्रवणराम पि. मेहराज 11. सती पत्नि
ठाकरा 12. किशोर कुमार 13. मोहनलाल 14. हरलाल पि. ठाकरा
जाति जाट, निवासी पुनियों का तला, बावडीकला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, 15. तहसीलदार चौहटन

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।**

राजस्व आवेदन सं. 15/2023

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावडीकला के मौजा पुनियों का तला के खेत खसरा सं. 289, 941/372 रकबा क्रमशः 03.2051, 04.8562 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 1367 to 1370

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी हीराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण बिहारीलाल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 30/05/24

